**(2019 ) 5 एस. सी. आर.11**

**पवन वासुदेव शर्मा**

**बनाम**

**महाराष्ट्र राज्य द्वारा सचिव**

**आपराधिक अपील संख्या 519/2019, मार्च 25, 2019**

**उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा जे०जे**

दण्ड संहिता 1860– धारा 302 और 392– बॉम्बे पुलिस अधिनियम–धारा 37 (1) सपठित 135, शस्त्र अधिनियम धारा 3 /3 सपठित 25। अभियोजन पक्ष का मामला कि आरोपी नंबर 1 और 2 सहित चार व्यक्तियों ने एक लड़के का अपहरण किया और फिरौती मांगी– पुलिस ने एक इमारत पर छापा मारा और आरोपी व्यक्तियों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया– अपीलकर्ता–आरोपी नंबर 1 की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान एक पिस्तौल, 2 जिन्दा कारतूस और दो सेल फोन बरामद किये गये– आरोपी नंबर 1 से बरामद पिस्तौल एक सर्विस हथियार था जिसे पी० डब्लू० 1 को सौंपा गया था– पुलिस नाइक, जिसे पहले एक अलग घटना में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उससे छीन लिया गया था– आरोपी नंबर 1 से बरामद कारतूस का परीक्षण फोरेंसिक विश्लेषक द्वारा उसी पिस्तौल से किया गया था– कारतूस पर फायरिंग पिन के निशान की विशेषताएँ शरीर से बरामद गोली से मेल खाती हैं। एक अलग घटना में एक मृतक 'बी' का शव बरामद किया गया था– जब 'बी' का शव बरामद किया गया था, तो यह आरोप लगाया गया था कि उसके दो मोबाइल फोन लूट लिए गए थे– इसके अलावा यह आरोप लगाया गया था कि अपहरण के मामले में फिरौती की कॉल मृतक बी के मोबाइल नंबर से आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई थी– आरोपी नंबर 1 और 2 पर 'बी' की हत्या और धारा 302 के तहत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। धारा 392 सहपठित 34 भा०द०सं० बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) सपठित 8.135 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3.3 एवं धारा 25, विचारण न्यायालय ने आरोपी नंबर 1 और 2 को दोषी ठहराया– उच्च न्यायालय ने आरोपी नंबर 2 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 392 के तहत दोषमुक्त कर दिया–विक्षुव्ध अपीलकर्ता– आरोपी नंबर 1 ने अपील दायर की– यह एक स्थापित सिद्धान्त है कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, उन्हें अपराध के आरोपी व्यक्ति के अपराध को छोड़कर हर एक परिकल्पना को खारिज करना चाहिए। मोबाइल फोन के बारे में पहली परिस्थिति साबित नहीं हुई थी– मोबाइल नंबर मृतक 'बी' द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया था, बल्कि एक ' एस ' द्वारा सब्सक्राइब किया गया था और दोनों के बीज कोई संबंध नहीं था– दूसरी परिस्थिति मृतक के शरीर से बरामद गोली के बारे में थी– यह सच है कि 'बी' के शरीर से बरामद गोली उस सर्विस हथियार से मेल खाती थी जो पी०डब्लू०–11 पुलिस नाइक को आवंटित किया गया था, लेकिन सिद्धान्त यह है कि हथियार आरोपी द्वारा छीन लिया गया था। यह साबित नहीं हुआ– आरोपी व्यक्तियों की कोई परीक्षण पहचान नहीं की गई– दोनों परिस्थितियों को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया था– बहुत सारी कड़ियाँ आपस में नहीं जुड़ी थी और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आदमी के अपराध को छोड़कर हर एक परिकल्पना को बाहर नहीं करती है– इसलिए, अपीलकर्ता को दिए गए संदेह का लाभ अपीलकर्ता आरोपी नंबर 1 ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

अपील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहाः–

1.अभियोजन पक्ष जिन दो परिस्थितियों पर मुख्य रूप से भरोसा करता है, वे हैं एक मोबाइल फोन की बरामदगी जिसका उपयोग कथित तौर पर फिरौती की मांग करने के लिए किया गया था, और 9 मिमी पिस्तौल की जब्ती। मोबाइल फोन के बारे में पहली परिस्थिति बिल्कुल साबित नहीं हुई है। मोबाइल नंबर मृतक 'बी' द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया था, लेकिन 'एस' द्वारा सब्सक्राइब किया गया थी। इन दोनों व्यक्तियों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया है और न ही उक्त 'बी' के नाम से कोई बिल रिकॉर्ड पर पेश किया गया था। चूँकि इस बात के सबूत कि मोबाइल नंबर को 'एस' ने सब्सक्राइब किया थी, अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में ही था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त मोबाइल नंबर वास्तव में 'बी' द्वारा सब्सक्राइब किया गया था। इस मोर्चे पर वह कनेक्शन जो आरोपी को 'बी' की हत्या से जोड़देगा, पूरी तरह से गायब है। जहाँ तक दूसरी परिस्थिति का सवाल है, यह सच है कि मृतक के शरीर से बरामद गोली उस सर्विस हथियार से मेल खाती है जो पी०डब्लू० 11 पुलिस नाइक को आवंटित किया गया थी, लेकिन यह सिद्धान्त पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं है हथियार आरोपी द्वारा छीना गया था। कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी और यदि आयोजित की जाती है, तो उस संबंध में कोई सामग्री रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए, दूसरी परिस्थिति आरोपी के खिलाफ पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं होती है।

2. शरद विरधीचंद सारदा के फैसले में दिए गए सिद्धांतों को लागू करना, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, यह मामला संदेह से परे नहीं है। जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, उन्हें अपराध के आरोपी व्यक्ति के अपराध को छोड़कर हर एक परिकल्पना को खारिज करना चाहिए। वर्तमान मामले में परिस्थितियों की कड़ियाँ आपस में नहीं जुड़ती है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आदमी के अपराध को छोड़कर हर एक परिकल्पना को बाहर नहीं करती है। इसलिए, अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाता है। अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस०सी०सी० 116 (1985) 1 एस०सी०आर० 88 पर भरोसा किया। केस लॉ रेफरेंस (1985) एस०सी०आर० 88 पैरा 16 पर निर्भर था।

2013 की आपराधिक अपील सं०–700 /2013 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के दिनांक–24.03.2015 के फैसले और आदेश से रवि प्रकाश मेहरोत्रा, सुश्री दीप्ति आर० मेहरोत्रा, अंकित अग्रवाल अपीलकर्ता के वकील एवं प्रतिवादी के लिए अनूप कांदर, निशान्त रमाकान्तराव कटनेश्वरकर, अधिवक्तागण पेश हुए।

न्यायालय द्वारा अनुमति दी गयी एवं निर्णय उदय उमेश ललित, जे० द्वारा सुनाया गया था।

2.मूल अभियुक्त सं०–1 के अनुरोध पर यह अपील, 2013 की उनकी आपराधिक अपील सं०–700 को खारिज करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित 24.03.2015 के फैसले और आदेश की शुद्धता को चुनौती देती है।

3.अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस नायक नागरे (बाद में मुकदमे में पी०डब्लू० 11 के रूप में जाँच की गई) को 20.12.2005 को रात लगभग 9.00 बजे तीन व्यक्तियों द्वारा उनकी पिस्तौल (सर्विस हथियार) और वॉकी टॉकी सेट से लूट लिया गया था। तद्नुसार, उक्त घटना के संबंध में दिनांक–20.12.2005 को एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसे वर्तमान कार्यवाही में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श 106 के माध्यम से रिकार्ड में रखा गया था। प्राथमिकी में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है लेकिन तीन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। उक्त मामले की अलग से सुनवाई की गई।

4.दिनांक–04.01.2006 को पी०डब्लू० 1 पीएसआई दबीर को एक फोन कॉल आया कि एक घायल व्यक्ति मुंबई– पुणे राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल के पास पड़ा हुआ है। पी०डब्लू० 1 मौके पर गया और घायल को अस्पताल ले गया जहाँ से मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पतलून में मिले मोटरसाईकिल ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उसकी पहचान भीमा वाघमारे के रूप में हुई। इसके बाद परिवार के सदस्यों को सूचित किया गया ओर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 13 दर्ज की गई, जिसके बाद 2006 के सी० आर० नंबर 5 के तहत एक अपराध दर्ज किया गया। जाँच शुरू की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पी०डब्लू० 3 डा० जोशी ने पोस्टमार्टम किया ओर निम्नलिखित बाहरी चोटें पाईं (1) आग हाथ की चोट, दाई ओर का स्तन क्षेत्र, 13 सेमी नीचे और बांए स्तन ग्रंथि के लिए औसत दर्जे का। (2) बांई जांघ पर दृढ़ बांह के कारण जलने की चोट। सं० में दो। 9 सेमी नीचे इलियाक बांई ओर 2 2 सेमी० x 1 सेमी० सतही से गहरा। लाल केन्द्र के साथ गहरे काले रंग का। (3) इलियाक क्षेत्र के नीचे 9 सेमी से अधिक घर्षण बांई ओर 8 सेमी नीचे और 5 सेमी पीछे से पूर्ववर्ती बेहतर इलियाक रीढ़ की हड्डी तक, 2 2 सेमी० x सतही से गहरा होता है। (4) शरीर पर घर्षण निम्नानुसार हैः (ए) हाथ का तीसरा पूर्ववर्ती, (बी) कोहनी पीछे और (सी) कलाई पूर्वकाल (डी) (ए) जाँघ मध्य तिहाई। (ख) घुटने का जोड़ा डॉ. जोशी ने कहा कि उन्हें निम्नलिखित आंतरिक चोटें मिलींः पेट की दीवार में घाव, यकृत के बाएं लोब के पेरिटोनियम के बेहतर हिस्से, इसके हिस्से को चकनाचूर करना। हीन पक्ष में बाहर आना, अग्नाशय को चकनाचूर करना, छोटी आंत के मेसेंट्री में दो स्थानों पर प्रवेश करना। प्रत्येक व्यास में दो सेमी, बड़े रेट्रो पेरिटोनियल और पेरिटोनियल क्षेत्र के साथ बाएं गुर्दे में पीछे की ओर जा रहा है। एल 4 और एल 5 के शरीर के बाई ओर इंडेंटेशन और फ्रैक्चर के साथ लंबर स्पाइन नंबर 4 और 5 शरीर फिट करना। बाईं ओर के सक्रा इलियाक जोड़ पर चोट लगने की दिशा बदलना। दिशा बदलना, पैरा स्पाइनल मांसपेशियों और वसा बाईं ओर एम्बेडेड होना, पार्श्व और बेहतर रूप से निर्देशित। ऊपर उल्लिखित पक्ष से गोली बरामद की गई एवं नीचे की ओर पीले रंग की धातु का गुच्छा पाया गया।

5. अभियोजन पक्ष का मामला है कि जब भीमा वाघमारे को गोली मारी गई थी, तो लेनदेन में इस्तेमाल किया गया फायर आर्म वही सर्विस हथियार था जिसे पीडब्ल्यू 11 पुलिस नाइक नागरे से लूटा गया था। हत्या के तुरंत बाद, भीमा वाघमारे के दो सेल फोन भी कथित तौर पर लूट लिए थे, उनमें से एक नोकिया कंपनी का सेल फोन था जिसका सेल नंबर 9850520922 था। इस मोबाइल का उपयोग बाद में आकाश लोखंडे नामक एक लड़के के अपहरण के मामले में किया गया था, जिसका 13.01.2006 को अपहरण कर लिया गया था और फिरौती के

लिए कॉल उसी सेल फोन से लड़के के पिता पीडब्लू 12 संजय लोखंडे को किए गए थे। उक्त अपहरण के संबंध में दिनांक 13.01.2006 को एक प्राथमिक दर्ज की गई थी और कहा गया था कि इस मामले की अलग से भी सुनवाई की गई थी।

6. अपहरण के मामले की जांच के दौरान, पुलिस को जानकारी मिली कि आकाश लोखंडे को पुणे के विमाननगर में एक इमारत में कैद कर दिया गया था। तदनुसार, एक छापे की व्यवस्था की गई और जब पुलिस ने उक्त इमारत में प्रवेश किया, तो उन्होंने पवन वासुदेव शर्मा ( आरोपी नंबर 1), पंकज रामगोपाल जगरिया (आरोपी नं०–2), वासुदेव शर्मा और राजेन्द्र गौड़ को वहाँ मौजूद पाया। उन लोगों को पकड़ लिया गया। उसकी व्यक्तिगत तलाशी के दौरान, आरोपी नं०–1 के पास से एक 9 मिमी पिस्तौल (सर्विस रिवॉल्वर) और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। उसके पास से दो मोबाइल फोन भी मिले हैं। आरोपी नं०–2 की तलाशी में एक चॉपर मिला। उन सभी चार लोगों को अपहरण के मामले में पकड़ा गया था। बरामद पिस्तौल को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने पाया कि मृतक भीमा वाघमारे के पेट से जो गोली बारमद हुई थी, उसी पिस्टल से गोली चलाई गई थी। आरोपी नं०–1 के पास से जो जिंदा कारतूस बरामद किया गया था, उसका परीक्षण फोरंसिक विश्लेषक ने उसी पिस्तौल से किया था और कारतूस पर फायरिंग पिन के निशान की विशेषताएँ मृतक भीमा बाघमारे के शरीर से बरामद गोली से मेल खाती थीं। सभी चार गिरफ्तार व्यक्तियों को पी०डब्लू० 11 पुलिस नायक नागरे द्वारा पहचान के लिए रखा गया था और गवाह के अनुसार वह आरोपी नं०–1 और 2 की पहचान कर सकता है। तथापि, वर्तमान परीक्षण में परीक्षण पहचान परेड के संबंध में कोई दस्तावेज रिकार्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

7. जाँच पूरी होने के बाद, आरोपी नं०–1 और 2 पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 392 के साथ धारा 334 बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) के साथ धारा 135 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 एवं धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।

8. पी०डब्लू० 2 मृतक भीमा वाघमारे की विधवा सीमा ने अपनी गवाही में कहा कि उसके पति के पास दो मोबाइल नंबर थे और उनमें से एक 9850520922 था। उसने स्वीकार किया कि अपनी पहली रिपोर्टिंग में उसने अपने पति के पेशेवर प्रतिद्वंद्वियों सहित कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ संदेह व्यक्त किया था। आइडिया सेल्युलर कम्पनी के नोडल अधिकारी पी०डब्लू० 5 सचिन महादेव शिंदे ने कहा कि संजय एस० रॉय नाम के एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन नंबर 9850520922 सब्सक्राइब किया था, जिसका पता साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड, टेल्को रोड, फर्स्ट फ्लोर, राका गैस कंपनी, चिंचवाड़ स्टेशन, पुणे–411019 के पास था। उन्होंने प्रदर्श 55 के माध्यम से कॉल विवरण का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया, जिसमें मोबाइल के उपयोगकर्ता के बारे में जनवरी 2006 और फरवरी 2006 की अवधि के संबंध में कॉल विवरण के प्रासंगिक पृष्ठ दिखाए गए थे। पी०डब्लू० 6 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पांडुरंग उधवराव कोहिमकर इस मामले में जांच अधिकारी थी। उन्होंने किसी परीक्षण पहचान परेड के बारे में साक्ष्य नहीं दी और न ही पी०डब्लू11 पुलिस नायक नागोर द्वारा आरोपी नंबर 1 और 2 की पहचान के सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड पेश किया। आकाश लोखंडे के पिता पी०डब्लू० 12 संजय लोखंडे ने साक्ष्य दिया कि उनसे फिरौती की मांग की गई थी और मोबाइल नंबर 9850520922 से संदेश प्राप्त हुआ था। अपनी गवाही के दौरान उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मांग करने वाले व्यक्ति ने आकस्मिक रूप से उल्लेख किया था कि उन्होंने कर्जत में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी।

9. अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि अपीलकर्ता अभियुक्त सं०–1 से जब्त की गई पिस्तौल एक सर्विस हथियार थी जिसे पी०डब्लू० 11 पुलिस नायक नागरे को सौंपा गया था, जो हथियार 20.12.2005 को उससे छीन लिया गया था। यह वही हथियार था जिसका इस्तेमाल भीमा वाघमारे की हत्या के अपराध में किया गया था। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध था और अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से अपने मामले के समर्थन में कुछ परिस्थितियों पर भरोसा किया। इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य मुख्य रूप से दो विशेषताओं पर आधारित थे–ए) मोबाइल फोन की बरामदगी जिसका उपयोग कथित तौर पर फिरौती की मांग करने के लिए किया गया था, (बी) पूर्वोक्त के अनुसार 9 एसएस पिस्तौल की जब्ती।

10. इन दो परिस्थितियों के अलावा, पी०डब्लू० 12 संजय लोखंडे के साथ टेलीफोन पर बातचीत में फिरौती मांगने वालों द्वारा किए गए कथित न्यायेतर संस्वीकृति पर भी भरोसा किया गया, इन परिस्थितियों को ठोस मानते हुए और अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुणे ने दिनांक–11.01.2011 के अपने फैसले के माध्यम से आरोपी सं०–1 और 2 को धारा 302, 392 सपठित धारा 34 भा०द०सं० , धारा 37 (1) के साथ बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 और धारा 3/25 भारतीय शस्त्र

अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें पहली गणना के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, दूसरी गणना के तहत दो साल के लिए कठोर कारावास, तीसरी गिनती के तहत 15 दिनों के लिए कठोर कारावास और चौथी गिनती के तहत छः महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

11. दोनों दोषी अभियुक्तों ने 2013 की आपराधिक अपील सं० 700 और 2013 की आपराधिक अपील सं०–1056 को प्राथमिकता देते हुए अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी। जहाँ तक अभियुक्त सं०–1 का संबंध है, उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष सिद्ध कर दिया है और यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि वह भीमा वाघमारे की हत्या से सम्बन्धित अपराध में शामिल था। हालांकि उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी नं०–2 को अपराध से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, और इसलिए, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 392 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) और धारा 135 के तहत अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि और सजा को बनाए रखा।

12. अभिलेखों से स्पष्ट है कि अभियुक्त सं०–2 को दोषमुक्त किए जाने को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इसे अंतिम रूप दे दिया गया है।

13. ऊपर वर्णित तथ्य निम्नलिखित विशेषताओं को सामने लाते हैंः–

ए) प्रदर्श 106 में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पी०डब्लू०–11 पुलिस नायक नागरे से उनके सर्विस हथियार को लूटने के लिए तीन व्यक्ति जिम्मेदार थे। यद्यपि तीनों व्यक्तियों का विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 106 में दिया गया, लेकिन अपहरण के मामले की जाँच के दौरान जब चार संदिग्धों को पकड़ा गया तो कोई पहचान परीक्षण परेड नहीं की गई। इस संबंध में कोई सामग्री अभिलेख में प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभिलेख पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि तीसरा व्यक्ति कौन था।

बी) पी०डब्लू०आई–11 पुलिस नायक नागरे के अनुसार वह उन तीन व्यक्तियों द्वारा हमला किये जाने के बाद थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, होश में आने के बाद, उन्होंने अपने मोबाइल से 100 डायल किया और अपने सर्विस हथियार और वॉकी टॉकी के खोने के बारे में सूचित किया। यह कुछ हद तक असंगत है कि जिन लोगों ने उनसे उनका सर्विस हथियार और वॉकी टॉकी लूटा था, वे उनके मोबाइल को ठीक ठाक रखते थे।

ग) पी०डब्लू०–2 सीमा के साक्ष्य के संदर्भ में, मोबाइल नंबर 9850520922 उनके पति भीम वाघमारे द्वारा सब्सक्राइब किया गया था। दूसरी ओर, पी०डब्लू०एस सचिन शिंदे की गवाही के रूप में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य से पता चलता है कि मोबाइल नं० 9850520922 संजय एस रॉय द्वारा सब्सक्राइब किया गया था। अभियोजन पक्ष संजय एस रॉय और भीमा वाघमारे के बीच संबंध स्थापित करने में विफल रहा है और यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि क्या संजय एस रॉय ने कभी भीमा वाघमारे को अपना मोबाइल सौंपा था।

डी) पी०डब्लू० 2 सीमा ने अपने प्रथम साक्ष्य में अपने पति के कुछ पेशेवर प्रतिद्वंद्वियों के बारे में संदेह व्यक्त किया था।

ई) यह कहना कि फिरौती कॉल करने वाले व्यक्तियों में से एक ने खुलासा किया था कि उन्होंने कर्जत में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, पी०डब्लू० 12 संजय लोखंडे की मुख्य परीक्षा में यह तथ्य नहीं आया था, किन्तु उसकी जिरह में यह तथ्य बताया गया था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा यह तर्क नहीं रखा गया था कि पी०डब्लू० 12 संजय लोखंडे के सामने कोई अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई थी।

च) इस मामले का एक और आयाम है। जहां तक मुख्य आरोपों का संबंध है, आरोपी नंबर 2 को बरी करने का आदेश देते हुए, •बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) और धारा 135 के तहत अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया था। इस प्रकार, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि आरोपी नंबर 2 भी पीडब्ल्यू 11 पुलिस नायक नागरे के सर्विस हथियार छीनने का दोषी था, लेकिन हत्या का नहीं।

छ) सर्विस हथियार छीनने और हत्या के बीच लगभग 15 दिनों का अंतर था।

14. धारा 302 के मुख्य आरोप के आरोपी नंबर 2 को दोषमुक्त करने के साथ, यह भी देखना आवश्यक है कि क्या रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर्याप्त रूप से स्थापित करती है कि यह केवल आरोपी नंबर 1 था जो धारा 302 भा०द०सं० के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा मुख्य रूप से जिन दो परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, उनका उल्लेख पहले से ही ऊपर किया गया है। मोबाइल फोन के बारे में पहली परिस्थिति बिल्कुल साबित नहीं हुई है। मोबाइल नंबर मृतक भीमा वाघमारे ने सब्सक्राइब नहीं किया था, बल्कि संजय एस. रॉय ने सब्सक्राइब किया था। इन दोनों

व्यक्तियों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया है और न ही उक्त भीमा वाघमारे के नाम पर कोई बिल रिकॉर्ड पर पेश किया गया था। चूंकि इस बात के सबूत कि मोबाइल नंबर को संजय एस. रॉय ने सब्सक्राइब किया था, अभियोजन पक्ष द्वारा ही किया गया था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त मोबाइल नंबर वास्तव में भीमा बाघमारे द्वारा सब्सक्राइब किया गया था। इस संबंध में भीमा वाघमारे की हत्या के साथ आरोपी को जोड़ने वाली कड़ी पूरी तरह से गायब है। जहां तक दूसरी परिस्थिति का संबंध है, यह सच है कि मृतक के शरीर से बरामद गोली उस सर्विस हथियार से मेल खाती है जो पीडब्ल्यू 11 पुलिस नायक नागरे को आवंटित किया गया था, लेकिन यह सिद्धांत पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं है कि हथियार आरोपी द्वारा छीना गया था। कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी और यदि आयोजित की थी, तो उस संबंध में कोई सामग्री रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए, दूसरी परिस्थिति आरोपी के खिलाफ पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं होती है।

16. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों की सराहना के बिंदु पर कानून बहुत स्पष्ट है। शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था:–

"इस निर्णय के बारीकी से विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी आरोपी के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियों को "स्थापित किया जाना चाहिए" या होना चाहिए और "स्थापित नहीं किया जा सकता है"। इसमें न केवल व्याकरणिक बल्कि "साबित किया जा सकता है" और "साबित किया जाना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच एक कानूनी अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी सहबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा था। [ एससीसी पैरा 19, पी. 807: एससीसी (सीआरआई) पी. 1047] (1984) 4 एससीसी 116 (1973) 2 एससीसी 793; 1973 एससीसी (सीआरआई) 1033; 1973 क्रि एलजे 1783 "निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि आरोपी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच स्पष्ट निष्कर्ष होना चाहिए।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, सिवाय उसके दोषी होने के उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होना चाहिए।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित होने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए ताकि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़ा जा सके और यह दिखाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावना में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. ये पांच सुनहरे सिद्धांत, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के सबूत का पंचशील बनाते हैं।

17. पूर्वोक्त निर्णय में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू करना, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, हमारे विचार व्यक्ति के अपराध को छोड़कर हर एक परिकल्पना को खारिज करना चाहिए। वर्तमान मामले में बहुत सारी कड़ियाँ गायब हैं और हमारे विचार में, रिकॉर्ड पर सामग्री आदमी के अपराध को छोड़कर हर एक परिकल्पना को बाहर नहीं करती है।

18. इसलिए, हम अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हैं। इसलिए, इस अपील को स्वीकार किया जाता है और अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है। जब तक किसी अन्य अपराध के संबंध में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो, उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

अपील स्वीकृत की गई।

(आरती फौजदार),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।